राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय,
गोपीनाथ मार्ग,दरबार स्कूल परिसर,जयपुर।

क्रमांक : प.2(5)(53)सं.अ./क.सहा.नियु.–24/2025 दिनांकः

आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2024 की प्रतियोगी परीक्षा में चयनित होने के फलस्वरूप प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग के पत्र क्रमांक प.1(2)प्र.सु./अनु–3/2025–08916 राजकाज रेफरन्स न.17909069 व 17909072 दिनांक 19.09.2025 के अनुक्रम में राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत रोजगार विभाग हेतु अनुशंषित निम्नांकित 08 गैर अनुसूचित एवं 02 अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक पं. 15(1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित दिनांक 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 14,600/– प्रति माह, तत्पश्चात् परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरांत पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5, पर नियुक्ति कर उनके नाम के सम्मुख अंकित रोजगार कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर एतद् द्वारा पदस्थापना की जाती है :–

NON-TSP

क्रसं.	**रैंक**	**रोल न.**	**नाम एवं पिता का नाम**	**जन्म तिथि**	**पदस्थापन कार्यालय का नाम**
1.	571	400033	श्री जीवराज गहलोत पुत्र श्री प्रेमचंद गहलोत	10.12.1999	जिला रोजगार कार्यालय नागौर
2.	1585	455839	श्री राकेश चौहान पुत्र श्री रामजीलाल चौहान	20.05.1998	उपक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, अजमेर
3.	1642	453930	श्री महेन्द्र पुत्र श्री खियाराम	25.07.1999	उपक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, जोधपुर
4.	2078	418858	सुश्री मनीषा राठौड पुत्री श्री गोविन्द सिंह राठौड	16.06.1997	जिला रोजगार कार्यालय चूरू
5.	2226	454978	श्री दीपक विजय पुत्र श्री सत्यनारायण विजय	12.05.2002	जिला रोजगार कार्यालय बून्दी
6.	3490	424233	श्री मनोज कुमार छिलवाल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार	20.06.1993	जिला रोजगार कार्यालय अलवर
7.	3526	429908	श्री प्रीतम सिंह गुर्जर पुत्र श्री बद्रीनारायण गुर्जर	17.08.2001	जिला रोजगार [illegible] दौसा
8.	5224	442170	सुश्री हंसा मीणा पुत्री श्री हनुमान सहाय मीणा	28.06.2001	महिला रोजगार कार्यालय, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rishav Mandal
Designation : Commissioner
Date: 2025.11.07 16:06:02 IST
Reason: Approved

<u>TSP</u>

क्र. सं.	रैंक	रोल न.	नाम एवं पिता का नाम	जन्म तिथि	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1.	4570	470366	श्री रविराज सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह	06.05.2002	जिला रोजगार कार्यालय डूंगरपुर
2.	6307	468257	सुश्री दीक्षा शर्मा पुत्री श्री रमाकान्त शर्मा	18.02.1997	जिला रोजगार कार्यालय बांसवाडा

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही है :–

1. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को 10 कार्य दिवस में उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए विभाग को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी/एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/541 4/2015/54159 दिनांक 09.09.2015. पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प 11 (204) आरएण्डपी / डीडीबीसी / सान्याअवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
3. परीवीक्षा काल (प्रोबेशन पीरियड) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
4. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
5. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।
7. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।
8. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(5) डीओपी / ए–2/17 दिनांक 15.05.2018 की अनुपालना में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत एटैस्टेशन फार्म एवं स्व–घोषणा के आधार पर यह अस्थाई नियुक्ति दी जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा प्रेषित चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
9. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० 12 (6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6) एफडी / रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2) एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13 (1) एफडी/ रूल्स/2003 दिनाक 13.03. 2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (फिक्स्ड रिमुनरेशन) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–गकान किराया [illegible] क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्याय[illegible] खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/[illegible] राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rishav Mandal
Designation : Commissioner
Date: 2025.11.07 16:06:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18700819

10. सभी अभ्यर्थियों की जन्मतिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। उक्त आधार पर अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
11. उक्त नियुक्ति चरित्र स्व–सत्यापन के संदर्भ में मूल शपथ पत्र, ऑनलाईन पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं मूल स्व–घोषणा प्रपत्र एवं अन्य वांछित शपथ पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन प्रोविजनल दी जा रही है।
12. अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
13. राज्य में अवस्थित बोर्ड /विश्वविद्यालय/सस्थान एवं राज्य के बाहर के बोर्ड / विश्व विद्यालय/संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत/उल्लेखित शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्रों की संबंधित बोर्डो / विश्वविद्यालयों/संस्थानों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने / सही संदर्भित होने के क्रम में उक्त नियुक्ति प्रोविजनल रहेगी। जांच रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य / मिथ्या सूचना पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त किये जाने के अध्यधीन रहेगी।
14. उक्त नियुक्ति आदेश माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।
15. यदि किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में जांच उपरान्त दस्तावेज बोगस / फर्जी / मिथ्या पाये जाते है तो कार्यग्रहण के उपरांत भी ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर उनकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जावेगी साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं से डिबार किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
16. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों/ घोषणा पत्रों में मिथ्या सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थी के सेवाकाल के दौरान कभी भी नियुक्ति निरस्त किये जाने की नियमानुसार विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
17. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आयुक्त

क्रमांक : प.2(5)(53)सं.अ./क.सहा.नियु.–24/2025 दिनांकः

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–</u>

1 – विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री कौशल, नियोजन, उद्यमिता एवं खेल विभाग,राज.,जयपुर।
2 – निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कौशल, नियोजन, एवं उद्यमिता विभाग,राज.,जयपुर।
3 – निजी सचिव, शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग, राज.जयपुर।
4 – वरिष्ठ शासन उप सचिव, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राज.जयपुर।
5 – निजी सहायक, आयुक्त, कौशल, नियोजन, एवं उद्यमिता विभाग,राज.,जयपुर।
6 – संबंधित चयनित अभ्यार्थी .... (रजिस्टर्ड डाक द्वारा/मेल)
7 – रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Rishav Mandal
Designation : Commissioner
Date: 2025.11.07 16:06:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18700819